रजिस्टर्ड

हाईस्कूल परीक्षा

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,

रामचेत रामयज्ञ उ0मा0विद्यालय, डोमनेपुर, अकबरपुर,
अम्बेडकरनगर।

पत्रांक: मा0शि0प0/मान्यता/वाराणसी/ 4005 /दिनांक: 15-9-05

विषय: सीधें/हाईस्कूल नवीन की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने राजाज्ञा संख्या: सी0एम0 2316/15-7-5-414691/2004 दिनांक ~~1~~ 23अगस्त, 2005 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 9(4) के अन्तर्गत आपकी संस्था रामचेत रामयज्ञ उ0 मा0 विद्यालय डोमनेपुर, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर। को इण्टरमीडिएट शिक्षा संशोधन अधिनियम 1987 की धारा 7 के प्रावधानों को प्रबंधतंत्र द्वारा बिना शर्त अंगीकार करने की दशा में बालक/बालिका विद्यालय के रुप में परिषद् की हाईसकूल परीक्षा वर्ष 2007से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) वित्त-विहीन मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:-

सामान्य प्रतिबन्ध

1— प्रबन्धतंत्र कक्षा 9 की कक्षायें संचालित करने पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्ध की पूर्ति तथा विद्यालयों के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

2— इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 9 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय। अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

3— साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय।

4— इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने श्रोतों से व्यवस्था के लिए संस्था- उत्तरदायी होगी।

5— विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था संस्था द्वारा अपने श्रोतों से की जाय।

6— नवीन कक्षाएं संचालित कराने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगें।

विशेष प्रतिबन्ध

क-- संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता संबंधी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

ख-- कार्यालय पत्रांक मा0शि0प0/मा0/787 दि० 14.12.04 द्वारा प्रेषित प्रतिबंध पत्र की सम्पूर्ण शर्तों की पूर्ति करें।

टिप्पणी-- इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति छः माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव
15/9/05

पृष्ठांकन संख्या: मा0शि0प0/मान्यता/ /दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1--जिला विद्यालय निरीक्षक ~~सुल्तानपुर~~ अम्बेडकरनगर
2--सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ~~फैजाबाद~~
3--हाईस्कूल परीक्षा संस्थागत अनुभाग ~~वाराणसी~~
4--सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्यालय, इलाहाबाद

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय,
वाराणसी।